माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–08.10.2026 को 10:30 बजे पूर्वाह्न में राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में आयोजित अररिया, बांका, मधेपुरा एवं मुजफ्फरपुर जिलों के अंचलाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा पंजी अनुसार।

बैठक के प्रारंभ में सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना द्वारा माननीय विभागीय मंत्री एवं बैठक में उपस्थित अररिया, बांका, मधेपुरा एवं मुजफ्फरपुर जिलों के अंचलाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं निम्न बिन्दुओं पर उपस्थित अंचलाधिकारियों से समीक्षा की गयी।

बैठक की प्रस्तावना एवं उद्देश्य

शास्त्रीनगर स्थित राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री के अध्यक्षता में अररिया, बांका, मधेपुरा एवं मुजफ्फरपुर जिलों के अंचल अधिकारियों (CO) की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में भूमि सुधार से जुड़ी योजनाओं और राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना था। बैठक में विशेष रूप से जमाबंदी शुद्धीकरण, मृत रैयतों के उत्तराधिकार नामांतरण, अभियान बसेरा के तहत पात्र भूमिहीन लाभुकों के आवेदन और राजस्व महा–अभियान की अद्यतन स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई एवं निम्न निदेश दिये गये :–

1. जमाबंदी शुद्धीकरण एवं सक्रिय पहल संबंधी निर्देश

45 दिनों के विशेष अभियान में जमाबंदी में दर्ज त्रुटियों को दूर करने के लिए रैयतों के आवेदन का इंतजार न करें, बल्कि अंचल अधिकारी स्वयं सक्रिय पहल करते हुए त्रुटि सुधार के कार्य को पूर्ण करें। स्पष्ट किया गया कि जिन मामलों को जमाबंदी में त्रुटि के कारण पूर्व में रिजेक्ट कर दिया गया था, उन सभी मामलों की दोबारा समीक्षा की जाए। आवश्यक सुधार के पश्चात् उन मामलों का निष्पादन करना प्रत्येक अंचल अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि **15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष अभियान के दौरान जमाबंदियों में दर्ज** सभी प्रकार की त्रुटियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर दूर

किया जाए। खाली जमाबंदी की सूची विभाग स्तर से उपलब्ध करा दी गयी है। सभी जमाबंदियों में आवश्यक सुधार किया जाय।

2. मृत रैयतों के उत्तराधिकार नामांतरण पर बल

मृत रैयतों के उत्तराधिकार नामांतरण के मामलों में हो रही देरी पर संज्ञान लेते हुए अंचल स्तर से त्वरित और सक्रिय पहल करने का निदेश दिया गया, साथ ही बैठक में उपस्थित सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उत्तराधिकार नामांतरण के मामलों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके निराकरण के लिए सभी अंचल अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ यथा–मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य एवं पंच के साथ बैठक आयोजित करें।

जमाबंदी से संबंधित जो भी आवेदन राजस्व अभियान में प्राप्त हुआ है, उसे यथाशीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया। साथ ही विधान सभा/विधान परिषद के विभिन्न समितियों के बैठक में भूमि वासगीत के मामलें ज्यादा आते है, उसे भी यथाशीघ्र निष्पादित किया जाय।

बैठक में उपस्थित किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधि के साथ स्वंय बैठक नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। जबकि इस हेतु विज्ञापन एवं व्हाटसएप ग्रुप के माध्यम से प्रचार–प्रसार भी किया गया था।

3. अंचल अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही और मॉनिटरिंग

सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए केवल अपने सहयोगियों या कर्मचारियों पर निर्भर न रहें। अंचल कार्यालय में संचालित होने वाले सभी राजस्व कार्यों की पूरी जानकारी रखना, उनकी नियमित अंतराल पर समीक्षा करना और उनकी दैनिक प्रगति पर निगरानी बनाए रखना प्रत्येक अंचल अधिकारी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। **बैठक में उपस्थित अंचल अधिकारी को बताया गया कि मुशहरी अंचल के अंचल अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है एवं संबंधित राजस्व अधिकारी के निलम्बन हेतु पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है। सिघेश्वर (मधेपुरा) के अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व महा–अभियान में प्राप्त आवेदनों का 96 प्रतिशत अस्वीकृत करने के कारण उनसे स्पष्टीकरण पूछे जाने का निदेश दिया गया।**

बैठक में 45 दिनों के विशेष महा–अभियान को देखते हुए लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने वाले अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी को वेतन का भुगतान की जाय। कार्य में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारी/कर्मी के वेतन में कटौती हेतु संबंधित अपर समाहर्त्ता, जिला समाहर्त्ता से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

समीक्षा के दौरान जिन अंचलों में लंबित मामलों के निष्पादन में अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मामलों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। राजस्व महा–अभियान के दौरान अधिकांश आवेदनों को बिना समुचित कारण के ही अस्वीकृत कर दिया गया है।

4. अभियान बसेरा और भूमिहीन लाभुकों के लिए निर्देश

अभियान बसेरा योजना के तहत पात्र भूमिहीन लाभुकों के आवेदनों की समीक्षा करते हुए बैठक में उपस्थित अंचल अधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया कि वे लाभुकों को आवेदन प्रक्रिया की सही और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराएं। यदि किसी स्तर पर कोई व्यक्ति लाभुकों को भ्रमित करता हुआ पाया जाता है या गलत जानकारी देता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभियान बसेरा के अन्तर्गत द्वितीय चरण का लक्ष्य 20 नवम्बर, 2026 में पूर्ण किये जाने का निदेश दिया गया एवं अभियान बसेरा की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जानी है। इसका आवेदन पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लिया जाए। सभी लोगों का आवेदन लें तथा उन्हें ऑनलाइन ही अपलाई करने के लिए प्रेरित करें। सभी प्राप्त आवेदनों का निष्पादन समय से पुरा करें। साथ ही ऑफलाइन आवेदन लेने के बाद भी इन्ट्री ऑनलाइन ही की जाय।

5. वर्चुअल कोर्ट :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्चुअल कोर्ट के सुनवाई के समय वीडियों/माइक को ऑफ रखा जा रहा है, जो एक गंभीर मामला है। वर्चुअल कोर्ट के सुनवाई के समय वीडियों/माइक को हमेशा ऑन रखा जाना है। साक्ष्य/अभिलेख को ऑनलाइन ही अपलोड करना है। कोर्ट रूम का परिदृश्य साफ सुथरा एवं गरिमामय होनी चाहिए एवं निर्धारित समय पर ही सुनवाई प्रारंभ की जानी चाहिए।

6. बैठक में उपस्थित अंचल अधिकारियों को विभाग की प्राथमिकताओं यथा–ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में समयबद्ध किये जाने पर परिचर्चा की गयी।

7. बैठक के प्रारंभ में माननीय विभागीय मंत्री द्वारा उपस्थित अंचल अधिकारियों को बताया गया कि पूर्व में परिमार्जन/परिमार्जन प्लस/राजस्व महा–अभियान के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर जमाबंदी अद्यतनीकरण एवं शुद्धिकरण का कार्य किया गया है, परन्तु अभी भी काफी बड़ी संख्या में जमाबंदी पंजी में सूचनाएँ या तो अद्यतन नहीं हो सकी अथवा अपूर्ण है। उक्त त्रुटियों के निराकरण हेतु दिनांक–15.09.2026 से 31.10.2026 तक 45 दिनों का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में उपस्थित सभी अंचल अधिकारियों को माननीय मंत्री द्वारा उक्त विशेष अभियान को सफल बनाने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण किये जाने का निदेश दिया गया। उक्त विशेष अभियान सरकार के तरफ से किया जा रहा है ऐसी स्थिति में जमाबंदी पंजी में सुधार की आवश्यकता हेतु यदि मापी की आवश्यकता होती है तो मापी सरकार के तरफ से निःशुल्क कराया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि इस अभियान में आवेदन पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. अन्यान्य :–

उक्त के अतिरिक्त 05 एकड़ से अधिक रकवा के सरकारी भूमि का सत्यापन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाय। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन सत्यापित प्रति निर्गत नहीं की जानी है। कई अभिलेख अभी भी स्कैन हेतु बचे हुए है, उन्हें शीघ्र ही स्कैन कर भू–अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करने की कार्रवाई दिनांक–31.09.2026 तक पूर्ण कर ली जाय।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/सम0/(अंचल अधिकारी बैठक)–41/2025 अंश–IV 1396 (10)/रा0, दिनांक– 29/10/26

E-mail

प्रतिलिपि–प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर, तिरहूत, कोसी एवं पूर्णिया/समाहर्त्ता, अररिया, बांका, मधेपुरा एवं मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्त्ता, अररिया, बांका, मधेपुरा एवं मुजफ्फरपुर/अररिया, बांका, मधेपुरा एवं मुजफ्फरपुर जिला के सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अररिया, बांका, मधेपुरा एवं मुजफ्फरपुर जिला के सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.10.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0/(अंचल अधिकारी बैठक)–41/2025 अंश– IV 1396 (10)/रा0, दिनांक– 29/10/26

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/श्री अनुपम प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.10.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0/(अंचल अधिकारी बैठक)–41/2025 अंश– IV 1396 (10)/रा0, दिनांक– 29/10/26

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव (विभागाध्यक्ष) के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.10.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।